उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अनुकमणिका

कं.	विषय	पृष्ट कमांक
1	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रावधान	3
2	अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र एवं निर्धारित आवेदन शुल्क	
3	जानकारी प्रदाय करने हेतु शुल्क एवं जानकारी देने की समय–सीमा	4
4	अपील का प्रावधान	
5	उचित मूल्य दुकान संचालकों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी देने का प्रावधान	5
6	उचित मूल्य दुकान में संधारित की जाने वाली जानकारी	6
7	उचित मूल्य दुकान में संधारित टेबलेट में प्रदर्शित जानकारी	
8	आवेदन पत्र अग्रेषित/हस्तांतरित करना	7
9	विभाग के जनभागीदारी वेबसाईट में उपलब्ध जानकारी के संबंध में	
10	सावधानियां	8

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रावधान

- सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य शासन के कार्यो में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी भी नागरिक को लोक प्राधिकरण से सूचना मांगने का अधिकार है। (धारा–3)
- सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेजों, अभिलेखों, रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां, सामग्री के प्रमाणित नमूने या डिस्क ,फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या अन्य इलेक्ट्रानिक रीति से या या कम्प्यूटर या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण में सुरक्षित जानकारी को प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। (धारा–3)

2. अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र एवं निर्धारित आवेदन शुल्क

- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु सादे कागज पर लिख कर या टाईप कराकर आवेदक द्वारा अपने नाम एवं पते का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र जनसूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। (धारा–6)
- आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क 10 रूपये जनसूचना अधिकारी को डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करके अथवा नगद भुगतान किया जा सकता है। (धारा–6)

3. जानकारी प्रदाय करने हेतु शुल्क एवं जानकारी देने की समय–सीमा

- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी हेतु प्रत्येक पेज के लिए 02 रूपये शुल्क निर्धारित है। बड़े आकार के फोटोकापी पेपर में जानकारी उपलब्ध होने पर फोटोकापी का वास्तविक लागत तथा डिस्क अथवा फ्लॉपी में सूचना देने के लिए 50 रूपये प्रत्येक डिस्क अथवा फ्लॉपी शुल्क निर्धारित है। (धारा–7)

- गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के आवेदनकर्ता को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है उसे गरीबी रेखा के नीचे के होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

- सामान्यतः किसी आवेदक को सूचना, आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। (धारा–7)

4. अपील का प्रावधान

- यदि आवेदक को निर्धारित समय सीमा में सूचना/जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, अथवा दी गयी सूचना/जानकारी से आवेदक संतुष्ट नहीं होता है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। (धारा–19)

- यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित समय–सीमा में अपील पर आदेश पारित नहीं कर पाते अथवा अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह निर्धारित समयावधि के भीतर राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है। (धारा–19)

5. उचित मूल्य दुकान संचालकों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी देने का प्रावधान

- छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 13 (3) में उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर जानकारी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

- उपरोक्त संदर्भ में संचालनालय के आदेश कमांक 8423/खाद्य/सूचना/31/2019 दिनांक 14.11.2019 द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

- प्रथम अपीलीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित अनुविभाग के सहायक खाद्य अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र (जिला मुख्यालय) हेतु खाद्य अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

- उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुल्क सहित आवेदन प्राप्त होने पर उचित मूल्य दुकान में संधारित जानकारी (जैसे – राशनकार्ड, खाद्यान्न भण्डारण एवं वितरण से संबंधित) उपलब्ध कराया जावेगा।

- उचित मूल्य दुकान में संधारित टेबलेट में उपलब्ध जानकारी प्रिंट लेकर उपलब्ध कराया जावेगा।

- आवेदक को जानकारी निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्रदाय किया जावेगा। आवेदक यदि बीपीएल श्रेणी का है, तो आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाण के संदर्भ में जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

- उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी संधारित की जावेगी। जिसमें आवेदक को दी गई जानकारी संक्षिप्त में एवं प्राप्त राशि का उल्लेख होगा।

6. उचित मूल्य दुकान में संधारित की जाने वाली जानकारी

- उचित मूल्य दुकानों में संचालनकर्ता एजेन्सी से संबंधित दस्तावेज जैसे–पंजीयन प्रमाण पत्र, संस्था/समूहों के सदस्यों की जानकारी, संस्था के कैशबुक, पासबुक, कार्यवाही पंजी की जानकारी।
- उचित मूल्य दुकान में संधारित राशनकार्ड पंजी , स्टॉक पंजी, वितरण पंजी, शिकायत पंजी, डिलीव्हरी ऑर्डर, ट्रक चालान एवं पंचनामा की जानकारी।
- घोषणा पत्र, चावल उत्सव के आयोजन निगरानी समिति के गठन एवं बैठक आयोजन से संबंधित पंजी की जानकारी।
- अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे – पूरक पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन, छात्रावास आदि के अंतर्गत खाद्यान्न के आबंटन/उठाव से संबंधित जानकारी।

7. उचित मूल्य दुकान में संधारित टेबलेट में प्रदर्शित जानकारी

- उचित मूल्य दुकान में संधारित टेबलेट में निम्नानुसार रिपोर्ट उपलब्ध है –
- उचित मूल्य दुकान में वितरण किये गये सभी राशन सामग्री के सौदों की विस्तृत जानकारी।
- विक्रय सौदों की राशनकार्डवार जानकारी।
- विक्रय सौदों की मात्रा व मूल्य की जानकारी।
- लाभान्वित राशनकार्डो की विस्तृत जानकारी।
- पीडीएस के अंतिरिक्त अन्य योजनाओं में खाद्यान्न भण्डारण एवं वितरण की विस्तृत जानकारी।

8. आवेदन पत्र अग्रेषित/हस्तांतरित करना

- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी यदि उचित मूल्य दुकान में संधारित नहीं है, तो दुकान संचालक द्वारा आवेदन पत्र जन सूचना अधिकारी जिला कार्यालय खाद्य शाखा को अंतरित की जावेगी।
- जन सूचना अधिकारी जिला कार्यालय खाद्य शाखा द्वारा ऐसे आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण किया जावेगा।

9. विभाग के जनभागीदारी वेबसाईट में उपलब्ध जानकारी के संबंध में

- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी यदि खाद्य विभाग की जनभागीदारी वेबसाईट में उपलब्ध है, तो आवेदक को जनभागीदारी वेबसाईट का यूआरएल https://khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx में प्रदर्शित होने की जानकारी दिया जावे।
- खाद्य विभाग की जनभागीदारी वेबसाईट में निम्नानुसार जानकारी उपलब्ध है –
- राशनकार्ड से संबंधित समस्त जानकारी (दुकानवार, ग्रामवार, वार्डवार, जिलेवार, संवर्गवार राशनकार्डो की विस्तृत जानकारी)
- उचित मूल्य दुकान से संबंधित समस्त जानकारी (दुकानों की सूची, संचालन एजेंसीवार दुकान, पहुंचविहीन दुकान, दुकानवार राशनकार्ड आदि)
- पीडीएस आबंटन, भण्डारण एवं वितरण से संबंधित समस्त जानकारी (माहवार विस्तृत आबंटन, भण्डारण एवं वितरण, जिलेवार प्रदाय केन्द्रवार आबंटन, पहुंचविहीन दुकानवार आबंटन आदि)

10. सावधानियां

- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी यदि स्पष्ट नहीं है, तो आवेदक को स्पष्ट आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जावे।

- आवेदक द्वारा एक ही आवेदन में एक से अधिक विषयों की जानकारी चाही गई है, तो कमांक 01 पर उल्लेखित विषय की जानकारी दिया जावे। शेष अन्य विषयों के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जावे।

- यदि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी अत्यंत विस्तृत है, तो जानकारी अवलोकन हेतु तिथि एवं समय निर्धारित कर आवेदक को सूचित किया जावे। आवेदक द्वारा अवलोकन उपरांत चाही गई जानकारी नियमानुसार प्रदाय किया जावे।

- यदि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध मेंं दुकान संचालक को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक से परामर्श/मार्गदर्शन लिया जावे।